

~ 1 ~

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ—देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,
विपिन चन्द्रसदस्य,

द्वितीय अपील संख्या: 13/2025 (वर्ष 2012-13, धारा 43(5))

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

बनाम

सर्वश्री सुदामा फेंगरेन्स, प्लॉट न० 88, से०-06 ए, सिडकुल, हरिद्वार

अपीलार्थी की ओर से: श्री भुवन चन्द्र पाण्डे.....राज्य-प्रतिनिधि।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री रणवीर शर्मा व श्री दीपक कुमार विश्नोई..... अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड (जिसे आगे "विभाग" कहा जायेगा) द्वारा संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून (जिसे आगे "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या-297/2023 (वर्ष 2012-13, धारा-43(5)) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 31-12-2024 के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 02-05-2025 को दायर की गयी है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सर्वश्री सुदामा फेंगरेन्स, प्लॉट न० 88, से०-06 ए, सिडकुल, हरिद्वार (जिसे आगे "व्यापारी" कहा जाएगा) की उक्त वर्ष हेतु दायर अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नगत मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अर्थदण्ड रु० 7,82,308/- को समाप्त किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत द्वितीय अपील में विवादित अर्थदण्ड की धनराशि रु० 7,82,308/- निहित है।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यापारी विभाग में परफ्यूम के निर्माण एवं बिक्री हेतु पंजीकृत है। दिनांक 10/03/2013 को व्यापारी द्वारा वाहन संख्या यू०के० 08 एल०ए०/2861 से परफ्यूम का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस दल कोतवाली रानीपुर हरिद्वार द्वारा उक्त वाहन को दिनांक 10/03/2013 की रात 9:30 पर रोका गया था। जांच पर पाया गया कि प्रश्नगत वाहन से व्यापारी द्वारा बिना कोई बिल/कैश मीमों के माल का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार बिना बिल के माल का परिवहन किये जाने पर सचल दल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिनांक 11/03/2013 जारी किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में व्यापारी द्वारा दिनांक 13/03/2013 को अपना स्पष्टीकरण जांच अधिकारी के समक्ष

ह०/दि०-06/09/2025

ह०/दि०-06/09/2025

द्वि० अपील संख्या- 13/2025

(विपिन चन्द्र)

(मलिक मजहर सुलतान)

प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना गया, तदनुसार परिवहन किये जा रहे माल का अभिग्रहण किया गया तथा उक्त माल को अवमुक्त कराने हेतु रु0 7,82,308/- जमानत के तौर पर जमा करने के आदेश दिये गये। उक्त अभिग्रहण आदेश के अनुपालन में व्यापारी द्वारा उक्त जमानत राशि जमा करवा कर माल अवमुक्त कराया गया। प्रश्नगत संव्यवहार के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 43(4) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुपालन में व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण कि प्रश्नगत माल का विक्रय उनके द्वारा सर्वश्री जी0वी0एन इंटरनेशनल दिल्ली को अपने बिल संख्या 081/दिनांक 10/03/2013 रु0 19,31,625/- से किया गया था तथा उक्त माल का परिवहन दिनांक 11/03/2013 को वाहन संख्या यू0के0 08 एल0ए0/2861 से किया जा रहा था। कहा गया कि फर्म के पूर्व फ़ैक्ट्री मैनेजर का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पायी थी, जिसके कारण फर्म के दिल्ली ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी श्री दिनेश कुमार द्वारा यहां पर अस्थाई रूप से कार्य निष्पादित किया जा रहा था। सम्बन्धित संव्यवहार के लिये नियमानुसार बिक्री बिल जारी कर समस्त दस्तावेज फ़ैक्ट्री के गार्ड को इस निर्देश के साथ कि माल लोड कराकर वाहन चालक को समस्त दस्तावेज देने हैं, परन्तु परिस्थितिवश जिस वाहन से माल को भेजा जाना था वह वाहन समय पर नहीं पहुंच पाया तथा इस दौरान गार्ड की ड्यूटी बदल गयी एवं ड्यूटी परिवर्तन के दौरान सम्बन्धित गार्ड उसके स्थान पर ड्यूटी पर आये गार्ड को बिल की प्रति देना भूल गया एवं बिल की प्रति उसके पास ही रह गयी, जिसके कारण वाहन के साथ बिल की प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। वाहन चालक को संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी, जो दस्तावेज माल लोड कर, वाहन चालक को उपलब्ध कराये गये वह उनको लेकर माल का परिवहन करने के लिये निकल पड़ा। वाहन चालक को वाणिज्य कर नियमों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। सचल दल द्वारा जांच के दौरान बिल संलग्न न होने के कारण एवं वाहन चालक से पूछने पर उसके द्वारा यही बताया गया था कि माल रुड़की रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा दिल्ली भेजने के लिये ले जा रहा है, तत्पश्चात फर्म के सम्बन्धित गार्ड से इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश बिक्री बिल उसके पास ही रह गया है, जो कि तुरन्त ही प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

3. व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उक्त स्पष्टीकरण को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संतोषजनक न मानते हुए प्रश्नगत संव्यवहार के संबंध में धारा-43(5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30/08/2013 को पारित किया गया। उक्त आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है-

"मेरे द्वारा प्राप्त सम्व्यवहार का अवलोकन किया गया तथा व्यापारी द्वारा दिये गये लिखित स्पष्टीकरण की जांच की गयी। जांचोपरान्त व्यापारी का लिखित स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। चूंकि उक्त वाहन चालक द्वारा शपथ पर दिये गये

बयान में स्वीकार किया गया है कि उनके पास माल से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र नहीं हैं और न ही वे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों को कहीं और भूल गये हैं। यह भी कहा गया कि उक्त वाहन में 50 ड्रम परफ्यूम लदा है, जो कि वे उक्त कम्पनी, हरिद्वार से भरकर श्री राजकुमार के गोदाम, आजाद नगर, रुड़की ले जा रहे थे और उनके पास गाड़ी में लदे माल से सम्बन्धित कोई भी कागज नहीं थे। यह भी अवगत कराया गया कि मैं ढाई साल से गाड़ी चला रहा हूँ मुझे कम्पनी से माल लाने के कागज नहीं देते हैं और मैं अपने मालिक श्री राजकुमार जो ट्रांसपोर्टर के कहने पर माल भरा था। अतः माल के परिवहन के समय वाहन चालक द्वारा शपथ पर दिये गये बयान में स्पष्ट किया गया है कि माल का परिवहन करते समय उन्हें कोई प्रपत्र नहीं दिये गये। इस प्रकार वाहन चालक द्वारा दिये गये बयान व फर्म मैनेजर द्वारा लिखित स्पष्टीकरण में विरोधाभास है। स्पष्ट है कि व्यापारी करापवंचन में लिप्त हैं और उनके द्वारा बिना प्रपत्रों के माल का परिवहन किया जाता है और जब विभागीय सचल दल अधिकारी द्वारा उक्त फर्म के वाहन को पकड़ा जाता है, तो उनके द्वारा अनेक तथ्यों का हवाला दिया जाता है। व्यापारी द्वारा अपने वाद के समर्थन में उक्त जिन वादों का हवाला दिया गया है, वह व्यापारी के बाद से मेल नहीं खाते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व्यापारी के लिखित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए माल की अनुमानित कीमत रु० 19,31,625-00 पर रु० 7,82,308-00 अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है, जिसे व्यापारी द्वारा सचल दल अधिकारी के समक्ष कार्यालय रसीद संख्या-378651 एवं 3786652/दिनांक 18-3-2013 से रु० 7,82,408-00 जमानत के रूप में जमा किये हैं, जिसे विधिनुसार अर्थदण्ड में परिवर्तित किया जाता है।”

इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि प्रश्नगत संव्यवहार को व्यापारी द्वारा जानबूझकर लेखों में नहीं दिखाया गया है, धारा 43(5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

4. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31-12-2024 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है। प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि प्रश्नगत मामले में अभिग्रहण कार्यवाही केवल वाहन चालक के बयान के आधार पर की गयी है, जबकि प्रश्नगत संव्यवहार के संबंध में बिल एवं लिखित स्पष्टीकरण कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त जांच अधिकारी द्वारा व्यापारी के व्यापार स्थल की जांच भी नहीं की गयी, जो कि जांच स्थल के पास ही स्थित था। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत संव्यवहार दो पंजीकृत व्यापारियों के बीच किया गया है, जिसके संबंध में फार्म C भी प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रश्नगत संव्यवहार को लेखा-पुस्तकों से समर्थित न माना जाना उचित नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया है कि संगत वर्ष तथा पूर्व के वर्षों में व्यापारी द्वारा समस्त बिक्री सर्वश्री जी०बी० के० इण्टरनेशनल, दिल्ली को की गयी है तथा बिक्रीत माल परफ्यूम कंपाउंड है, जिसका उत्तराखण्ड के सामान्य बाजारों में विक्रय नहीं

किया जाता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त आधारों पर यह माना गया कि कर निर्धारण अधिकारी इस मामले में Willful omission प्रमाणित नहीं कर पाये हैं, अतः धारा 43 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा M/s Kathori Projects Ltd- 24/19-D mal Kanpur Vs Commissioner Commercial Tax तथा वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून पीठ, देहरादून द्वारा Commissioner of Commercial Tax, Uttarakhand Vs. Videocon Industries Limited के मामले में दिये गये निर्णयों को भी उद्धृत किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर व्यापारी की अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी है।

5 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संदर्भित निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निम्न आधार लिये गये हैं—

"01) यह कि, विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, देहरादून द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.2024 तथ्यों के विपरीत अनुचित एवं न्याय संगत न होने के कारण अपीलीय आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

02) यह कि, कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये अपने आदेश दिनांक 30.08.2013 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है, उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

03) यह कि वाहन चालक द्वारा अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नगत माल को प्रान्त बाहर दिल्ली प्रेषित किया जाना है। (यदि वाहन को अवरुद्ध नहीं किया जाता तो वाहन में बिना प्रपत्रों के लदे माल की लेखों से बाहर बिक्री किये जाने की सम्भावना थी) जबकि व्योहारी द्वारा अपने अपीलीय आधार में माल को रूडकी रेलवे स्टेशन से दिल्ली प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है। यहाँ यह विचारणीय है कि प्रश्नगत माल प्रेषित किये जाने हेतु सिडकुल हरिद्वार से हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधिक निकट था।

04) यह कि, माल का परिवहन बिना बिल, बीजक, बिल्टी, यात्राशीट के किया जाना व्योहारी की मंशा को अन्यथा प्रमाणित करता है। व्योहारी सुगंध उत्पादों (Perfumery chemicals/ Compounds) का व्यापार करते हैं और ऐसा व्यापार व्योहारी एक लम्बी अवधि से कर रहे हैं। ऐसे में व्योहारी इस तथ्य से भली-भाँति अवगत होंगे कि माल की बिक्री के उद्देश्य से/बिक्री उपरान्त माल का परिवहन किये जाने हेतु माल से सम्बन्धित किन-किन प्रपत्रों को चालक को दिया जाना आवश्यक है। व्योहारी द्वारा परिवहित किये जा रहे माल के परिवहन के समय, माल से सम्बन्धित बिक्री बीजक, बिल्टी, और यात्रा शीट वाहन चालक के पास नहीं पायी गयी। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवहित किये जा रहे माल को व्योहारी द्वारा लेखों से बाहर बिक्री किया जाना अभिप्रेत था। ऐसे में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित ही व्योहारी पर धारा-43(5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर त्रुटिकारित की गयी है।

05) यह कि व्यौहारी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि उसके द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में माल का परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जाता है। अग्रेतर व्यापारी द्वारा रेलवे और व्यौहारी के मध्य माल के परिवहन के सम्बन्ध में हुये किसी अनुबन्ध की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। व्यौहारी द्वारा अर्थदण्ड की कार्यवाही से बचने के लिए माल को रेलवे के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु श्री राजकुमार के गोदाम में प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त के अतिरिक्त व्यौहारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार के पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती अवधि में किये संव्यवहारों को भी रेलवे के माध्यम से परिवहित किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों से इस बात में बल प्राप्त होता है कि व्यौहारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार के प्रकाश में आने के पश्चात, प्रश्नगत माल को रेलवे के माध्यम से परिवहित किये जाने का सहारा लेकर अर्थदण्डकी कार्यवाही से बचने का प्रयास किया गया है। परिणाम स्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अर्थदण्ड आदेश उचित एवं विधि सम्मत है, तथा पुनर्जीवित किये जाने योग्य है।

06) यह कि, अपीलीय अधिकारी का यह मत तथ्यों के विपरीत है कि व्यौहारी ने सचल दल अधिकारी द्वारा, प्रश्नगत माल के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के माल से सम्बन्धित बिल एवं लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। जबकि सचल दल अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में स्पष्टतया उल्लेखित है कि नोटिस जारी करते समय तक वाहन में लदे 50 ड्रम इत्र-सुगंध (Perfume fragrance) से सम्बन्धित कोई प्रपत्र वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यहाँ तक कि व्यौहारी द्वारा तदसमय प्रस्तुत स्पष्टीकरण में भी जारी नोटिस सं० को अंकित किया गया है, उक्त से इस बात की पुष्टि होती है कि व्यौहारी द्वारा परिवहित किये जा रहे माल के परिवहन करते समय और माल के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही यथा कारण बताओ नोटिस जारी करते समय तक माल से सम्बन्धित कोई बीजक सचल दल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के विपरीत कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर त्रुटिकारित की गयी है।

07) यह कि धारा 43 (5) में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु ऐसे अधिकारी (अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु अधिकृत अधिकारी) का यह समाधान हो जाना पर्याप्त है कि ऐसी वस्तुओं को जानबूझकर निर्दिष्ट लेखों से बाहर रखा गया है। प्रश्नगत मामले में व्यौहारी द्वारा परिवहित किये जा रहे माल से सम्बन्धित कोई भी बिल/बीजक बिल्टी, माल के परिवहन के समय नहीं पाई गयी है। यह तथ्य उक्त वर्णित समाधान होने के लिए आवश्यक विश्वास करने योग्य आधार है। क्योंकि यदि इस प्रकार परिवहित किये जा रहे माल को सचल दल अधिकारी द्वारा जाँच हेतु रोका नहीं गया होता तब व्यौहारी कदापि प्रश्नगत संव्यवहार को अपने लेखों में इन्द्राज नहीं करते। तदनुसार कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अर्थदण्ड आदेश विधि सम्मत है, एवं पुनर्जीवित किये जाने योग्य है।

08) यह कि, प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह मत तार्किक एवं व्यावहारिक रूप से धारणीय नहीं है कि, व्यौहारी द्वारा पूर्व में समस्त बिक्री अन्तर प्रान्तीय की गयी है तथा प्रश्नगत बिक्री प्ररूप C के विरुद्ध की गयी है और प्ररूप C अपीलीय अधिकारी के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये उपर्युक्त समस्त तथ्यों

से प्रश्नगत संव्यवहार का व्यौहारी द्वारा लेखा-पुस्तकों से बाहर किये जाने की समस्त प्रायिकताये समाप्त नहीं होती हैं। अग्रेतर प्ररूप C किसी भी सम्यवहार के पूर्ण हो जाने के पश्चात जारी किया जाने वाला प्रपत्र है। प्रश्नगत संव्यवहार के प्रकाश में आने के पश्चात व्यौहारी द्वारा बाध्य होकर संदर्भित संव्यवहार को प्ररूप C के विरुद्ध किया गया है। यदि प्रश्नगत संव्यवहार को सचल दल इकाई द्वारा रोका नहीं गया होता, तब यह संव्यवहार कभी प्रकाश में नहीं आता और व्यौहारी के लेखों में इन्द्राज भी नहीं हो पाता। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय त्रुटिपूर्ण अवधारणा पर आधारित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

09) यह कि, व्यौहारी द्वारा माल के परिवहन के समय माल के साथ कोई प्रपत्र नहीं होने सम्बन्धी तथ्य की स्वीकारोक्ति की गयी है। व्यौहारी द्वारा माल के परिवहन करते समय बीजक नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में जो कारण दिये गये हैं वह तार्किक और व्यावहारिक दृष्टि से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। माल से भरे वाहन को फौकट्री परिसर से बाहर ले जाते समय, सामान्यतया वाहन चालक सदैव माल से सम्बन्धित प्रपत्र की माँग करता है और माल को कहाँ पहुँचाना है उसके बारे में पता करता है। अब ऐसे में व्यौहारी का यह तर्क कि वाहन चालक माल के प्रपत्र फौकट्री परिसर में ही भूल गया उत्तर-विचार प्रस्तुत तर्क मात्र है। उक्त तथ्य प्रश्नगत माल को सोच-समझकर लेखों में इन्द्राज नहीं किये जाने की अभिप्रेरणा की पुष्टि करते हैं। तदनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

10) यह कि, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि व्यौहारी द्वारा अपनी समस्त बिक्री सर्वश्री जी०बी०एन इन्टरनेशनल दिल्ली को की गयी है, इसलिए भी प्रश्नगत संव्यवहार के लेखों से बाहर किये जाने की सम्भावना नहीं है। जबकि किसी एक ही व्यौहारी को की जा रही बिक्री को अपनी सुविधानुसार समायोजित किये जाने की अधिक सुविधा और सम्भावना रहती है। ऐसा ही प्रश्नगत मामलों में हुआ है। जैसे ही संव्यवहार विभाग के संज्ञान में आया व्यौहारी ने प्रश्नगत संव्यवहार को अपने लेखों में इन्द्राज कर अपने एकमेव क्रेता से प्ररूप C प्राप्त कर लिया है। यह प्रश्नगत सम्यवहार का घटना - पश्चात लेखा-बद्ध होना है। उक्त के आलोक में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

11) यह कि, प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह मत कि प्रश्नगत माल परफ्यूम कम्पाउण्ड की उत्तराखण्ड के बाजारों में सामान्य बिक्री नहीं की जाती है, इसलिये भी प्रश्नगत संव्यवहार केन्द्रीय बिक्री किये जाने हेतु ही अभिप्रेत था, पूर्णतया अतार्किक एवं त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि प्रथम ऐसा नहीं है कि उत्तराखण्ड में परफ्यूम कम्पाउण्ड का इच्छित उपयोग किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रश्नगत उत्पाद का उपयोग, विभिन्न प्रकार से दुर्गन्ध नाशक (Deodorant) के निर्माण में हो सकता है। द्वितीय व्यौहारी प्रश्नगत उत्पाद से सम्बन्धित संव्यवहार को अपने लेखों में प्रदर्शित किये बिना भी प्रान्त बाहर बिक्री कर सकते हैं। प्रश्नगत माल के परिवहन के समय माल के परिवहन से सम्बन्धित अन्य राज्यों की यात्राशीट एवं अन्य प्रपत्र नहीं मिलना इस तथ्य की सम्भावना

को बल प्रदान करते हैं। अस्तु, उक्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अर्थदण्ड आदेश विधि सम्मत एवं पुनर्जीवित किये जाने योग्य है।

12) यह कि, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वाहन चालक के बयान में वर्णित उस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया है जहाँ पर चालक द्वारा यह कहा गया है कि वह ढाई वर्षों से व्यौहारी का माल परिवहित कर रहा है और उसे कम्पनी से माल लाने के कागज नहीं दिये जाते हैं। उक्त तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि चालक प्रथम बार प्रश्नगत माल का परिवहन नहीं कर रहा है और उससे माल से सम्बन्धित प्रपत्र लाने में कहीं कोई भूल नहीं हुई है।

13) यह कि, प्रश्नगत वाहन को दि० 10.03.2013 को पुलिस द्वारा रोककर, विभाग को अग्रेतर जाँच हेतु दिया गया है, जाँचोपरान्त दि० 11.03.2013 को सचल दल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत वाहन में परिवहित माल के लेखा-बद्ध नहीं होने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि व्यौहारी द्वारा वास्तव में प्रश्नगत संव्यवहार को अपनी लेखा-पुस्तकों में लेखा-बद्ध किया गया होता, व्यौहारी जैसे ही पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोककर पुलिस चौकी ले जाया गया माल से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों सहित पुलिस चौकी ही पहुँच जाते, परन्तु व्यौहारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका, क्योंकि व्यौहारी को प्रश्नगत संव्यवहार को अपने लेखों में लेखा बद्ध करने में समय की आवश्यकता थी। तदनुसार ही दिनांक 11.03.2013 को व्यौहारी कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात प्रश्नगत संव्यवहार से सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ सचल दल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सकें।

14) यह कि, माननीय वाणिज्य कर अधिकरण की अनुमति से यदि, मामले में माननीय अधिकरण के समक्ष बहस के समय, कोई नया तथ्य, विषय, प्रकरण वाद के तथ्यों में जोड़ने, संयोजित करने की आवश्यकता अनुभूत होती है, तब ऐसे नये तथ्य जोड़ते, संयोजित करते हुए वाद के तथ्य/विधिक बिन्दु प्रस्तुत किये जाएंगे।

अतः प्रथम अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुये कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर पुनर्स्थापित किये जाने योग्य है।”

इस प्रकार विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त आधारों पर द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं डिप्टी कमिश्नर श्री भुवन चंद्र पाण्डे उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपीलीय आधारों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30/08/2013 को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी। व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री रणवीर शर्मा व श्री दीपक कुमार विश्नोई उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. वाद के तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नगत अर्थदण्ड वाद के निस्तारण हेतु अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है—

“क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार को अपने व्यापार के क्रम में रखे गये लेखों, रजिस्ट्रों एवं अन्य दस्तावेजों में जानबूझकर नहीं दर्शाया गया है तदनुसार इस मामले में धारा 43(5) आकृष्ट होती है ?”

8. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दु के क्रम में वाद के तथ्यों, अर्थदण्ड आदेश, प्रथम अपीलीय निर्णय तथा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय उभयपक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष में रखे गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मुख्यतः निम्नांकित आधारों पर व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है—

1. लदे माल के संबंध में वाहन चालक द्वारा दिये गये बयान के आधार पर कार्यवाही की गई, जबकि सचल दल अधिकारी, हरिद्वार के समक्ष बिल एवं लिखित स्पष्टीकरण कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत कर दिये गये थे।
2. सचल दल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच फर्म के व्यापार स्थल पर जाकर उनके लेखा पुस्तकों से भी नहीं की गई एवं न ही ऐसा कोई अवसर अपीलार्थी को प्रदान किया गया जबकि फर्म मैनेजर द्वारा बताया गया था कि व्यापार स्थल वाहन जांच के स्थल के बहुत समीप है।
3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस तथ्य का संज्ञान भी नहीं लिया गया कि संबंधित संव्यवहार दो पंजीकृत व्यापारियों के मध्य फार्म सी के विरुद्ध रहा है, जिस कारण यह माना जाना कि संव्यवहार लेखा पुस्तकों से समर्थित नहीं है एवं न्याय संगत नहीं है एवं इस आधार पर बिना कर अपवंचन की मंशा सिद्ध किये धारा 43 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।
4. अपीलार्थी द्वारा आलोच्य तथा पूर्व के वर्षों में समस्त बिक्री सर्वश्री जी०बी० के० इण्टरनेशनल, दिल्ली को की गयी है, जिसके लेजर की प्रति भी संलग्न की गयी है एवं इसके अतिरिक्त अभिग्रहीत माल परफ्यूम कम्पाउण्ड है जिसका उत्तराखण्ड के सामान्य बाजारों में बिक्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है जिससे भी संबंधित संव्यवहार केंद्रीय बिक्री के अन्तर्गत ही किया जाना प्रमाणित होता है।
5. प्रश्नगत संव्यवहार को व्यापारी द्वारा अपने लेखा पुस्तकों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया है, अतः धारा 43 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इस संव्यवहार में Willful omission प्रमाणित नहीं कर पाये हैं।
6. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में व्यापारी द्वारा अपने पक्ष में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा M/s Kathori Projects Ltd-24/19-D mal Kanpur Vs Commissioner Commercial Tax तथा वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून पीठ, देहरादून द्वारा Commissioner of Commercial

Tax, Uttarakhand Vs. Videocon Industries Limited के मामले में दिये गये निर्णयों को भी उद्धृत किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर व्यापारी की अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी है।

9. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त आधारों पर व्यापारी की अपील स्वीकार किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपीलीय आधारों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण किया गया। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है, कि जिस समय इस संव्यवहार को पुलिस दल कोतवाली रानीपुर हरिद्वार द्वारा दिनांक 10/03/2013 की रात 9:30 पर रोका गया था, तत्समय माल से संबंधित कोई बिल/बीजक माल के साथ नहीं पाया गया था अर्थात् माल का परिवहन बिना बिल के किया जा रहा था। इस संव्यवहार के संबंध में वाहन चालक जिसके द्वारा व्यापारी के माल का परिवहन विगत ढाई साल किया जा रहा है, द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली रानीपुर हरिद्वार को संबोधित अपने पत्र दिनांक 10/03/2013 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत माल के संबंध में उसे कोई भी कागज नहीं दिया गया था एवं न ही वह कहीं कागज भूला है। उक्त पत्र में वाहन चालक द्वारा यह भी कहा गया है कि माल से संबंधित कोई भी कागज उसे नहीं दिये जाते हैं तथा ट्रांसपोर्टर श्री राजकुमार द्वारा उसे यह निर्देश दिये गये थे कि गाड़ी में लदे माल के कागज नहीं है, इसे पुलिस से बचाकर ले जाना। इस पत्र पर ही SHO श्री एम.एस.नेगी द्वारा माल को श्री कार्तिकेय वर्मा अस्सिस्टेंट कमिश्नर सचल दल को सुपुर्द किया गया था। उक्त सुपुर्दगी के पश्चात् वाहन चालक श्री सचिन कुमार द्वारा सचल दल ए हरिद्वार के समक्ष दिनांक 11/03/2013 को बयान दिया गया है, जिसमें वाहन चालक द्वारा पुनः स्वीकार किया गया है कि माल से संबंधित कोई भी प्रपत्र उसके पास नहीं थे एवं न ही वह कहीं कोई प्रपत्र भूला है। यह सुनिश्चित हो जाने पर कि माल का परिवहन बिना प्रपत्रों के हरिद्वार से रुड़की के लिए किया जा रहा है, के आधार पर सचल दल अधिकारी द्वारा दिनांक 11/03/2013 को सांय 7:35 पर धारा 43 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 11/03/2013 जारी किया गया। उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही संव्यवहार से संबंधित बिल संख्या 081 दिनांक 10/03/2013 एवं लिखित स्पष्टीकरण सचल दल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। यदि व्यापारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही बिल एवं लिखित स्पष्टीकरण सचल दल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता तो उक्त का उल्लेख कारण बताओ नोटिस में अवश्य किया गया होता। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की तिथि दिनांक 11/03/2013 को उक्त बिल एवं लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था, तो प्रश्नगत संव्यवहार से संबंधित अभिग्रहण कार्यवाही दिनांक 11/03/2013 को क्यों संपन्न नहीं करायी गयी। कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में

जो स्पष्टीकरण व्यापारी द्वारा सचल अधिकारी हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, पर दिनांक 13/03/2013 अंकित है। उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 14/03/2013 को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण में यह अंकित अवश्य किया गया है कि माल को रोके जाने के पश्चात् उक्त बिल जांच हेतु प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु यह भी वाद के तथ्यों से समर्थित नहीं है क्योंकि दिनांक 10/03/2013 की रात 9:30 माल रोकने के पश्चात् अगले दिन दिनांक 11/03/2013 को सांय 7:35 पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने तक माल से संबंधित कोई बिल प्रस्तुत न किया जाना उल्लिखित है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी द्वारा माल से संबंधित बिल सर्वप्रथम दिनांक 14/03/2013 को ही जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि माल रोके जाने के पश्चात् ही उक्त माल के संबंध में बिल जारी किया गया है।

10. जहां तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के इस मत का प्रश्न है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार की जांच व्यापार स्थल पर जाकर व्यापारी के लेखा-पुस्तकों से नहीं किया गया, भी वाद के संदर्भ में उचित नहीं है। ऐसे वाहन चालक जो काफी समय से व्यापारी के माल का परिवहन कर रहा है, द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार तथा सचल दल इकाई के समक्ष अपने प्रार्थना-पत्र/शपथ पर बयान में यह स्वीकार किया गया है कि माल से संबंधित कोई भी प्रपत्र उसे न तो दिये गये हैं एवं न ही वह उक्त को कहीं भूला है, के परिप्रेक्ष्य में सचल दल इकाई को कोई जांच करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि तत्समय वाहन चालक द्वारा यह कहा जाता कि प्रश्नगत माल के संबंध में व्यापारी द्वारा बिल जारी किया गया है, परन्तु वह उक्त को व्यापार स्थल पर ही भूल आया है, जैसी परिस्थितियों में वाहन चालक के बयान के सत्यापन की आवश्यकता पड़ सकती थी, परन्तु चूंकि प्रश्नगत मामले में वाहन चालक द्वारा माल से संबंधित कोई भी बिल उसे न दिये जाना स्वीकार किया गया है, के दृष्टिगत सचल दल अधिकारियों को कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का उपरोक्तानुसार वर्णित मत को हम वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते हैं।

11. उक्त के अतिरिक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार को इस आधार पर मान्यता देने कि यह संव्यवहार दो पंजीकृत व्यापारियों के मध्य फार्म C के विरुद्ध किया गया है, को भी हम उचित नहीं पाते हैं। लेखों के बाहर किये गये संव्यवहार को रोके जाने के पश्चात् किसी संव्यवहार को लेखबद्ध करने के अतिरिक्त व्यापारी के पास कोई विकल्प बचता भी नहीं है। केंद्रीय विक्रय कर नियमावली के नियम 12(1) के अन्तर्गत एक त्रैमास में किये गये संव्यवहारों के संबंध में एक फार्म C दिया जाना प्रावधानित है, अर्थात् दो व्यापारियों के मध्य एक त्रैमास में हुए संव्यवहार के संबंध में एक फार्म C दिया जाता है। केंद्रीय विक्रय कर नियमावली के नियम 12(7) के अन्तर्गत उक्त त्रैमास जिसमें संव्यवहार हुए हैं, की समाप्ति के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है।

उक्त संदर्भित नियमों से स्पष्ट है कि फार्म C संव्यवहार हो जाने के पश्चात् दिये जाते हैं, ऐसी स्थिति में किसी संव्यवहार विशेष के इस आधार पर वास्तविक (Genuine) होने, कि उक्त के संबंध में फार्म C प्राप्त हो गया है, उचित आधार नहीं है। उक्त के आलोक में इस तथ्य कि व्यापारी द्वारा आलोच्य तथा पूर्व के वर्षों में समस्त बिक्री सर्वश्री जी०बी० के० इण्टरनेशनल, दिल्ली को की गयी है तथा परफ्यूम कम्पाउण्ड के सामान्य बिक्री उत्तराखण्ड में नहीं की जाती है, अतः प्रश्नगत संव्यवहार केंद्रीय बिक्री से संबंधित संव्यवहार ही है, जैसे तथ्यों से व्यापारी को कोई मदद नहीं मिलती है। प्रश्नगत वाद में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रश्नगत संव्यवहार को व्यापारी द्वारा लेखा-पुस्तकों के बाहर किया जा रहा था, अतः इस संव्यवहार का परिवहन उत्तराखण्ड में ही किसी व्यापारी के लिए अथवा प्रांत बाहर किसी अन्य व्यापारी के लिए किया जा रहा था, महत्व नहीं रखता है। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा Rama Iron Stores Hardware Dealer v. Commissioner of Sales Tax, 1995 UPTC 989, के मामले में दिया गया निर्णय अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बाद में फार्म C दिये जाने के संबंध में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है—

“Imposition of penalty was proper and the subsequent issuance of Form C made no difference because it was issued after the interception of the goods. Several other purchases from J.K. Engineers Files were also found not to have been recorded in the account books. Subsequent issuance of Forms C does not establish that there was no intention to evade the payment of tax at the time when the goods were intercepted.” माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

12. वाद के तथ्यों से यह प्रमाणित है कि जिस समय वाहन को रोका गया था, उस समय तक उक्त वाहन में लदे माल (50 ड्रम परफ्यूम) के संबंध में कोई बिल व्यापारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः व्यापारी का यह दावा कि प्रश्नगत माल के संबंध में उनके द्वारा विधिवत् रूप से माल के परिवहन से पूर्व ही दिनांक 10/03/2013 को बिल संख्या 081 दिनांक 10/03/2013 रु० 19,31,625 सर्वश्री जी०बी० के० इण्टरनेशनल, दिल्ली के लिए जारी कर दिया गया था, जिसे वाहन चालक को देने के लिए गार्ड के पास दे दिया गया था, परन्तु उक्त गार्ड की शिफ्ट ड्यूटी बदल जाने के कारण उक्त बिल वाहन चालक को नहीं दिया जा सका, का वाद के संदर्भ में केवल पेशबंदी एवं After though होना प्रकाश में आता है। जहां तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के इस मत का प्रश्न है कि कर निर्धारण अधिकारी भी इस संव्यवहार में Willful omission प्रमाणित नहीं कर पाये हैं, भी इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि Willful omission वाली स्थिति वहां उत्पन्न होगी जहां व्यापारी द्वारा यह मान लिया गया हो, कि omission तो हुआ है, परन्तु उक्त omission, Willful नहीं है, जबकि प्रश्नगत मामले में व्यापारी द्वारा निरन्तर यह कहा जा रहा है कि माल का परिवहन करने से पूर्व ही उनके द्वारा बिल जारी कर दिया गया था।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों एवं विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत संव्यवहार की प्रविष्टि व्यापारी द्वारा जानबूझकर अपनी लेखा-पुस्तकों में नहीं की गयी थी तथा माल रोके जाने के पश्चात् ही उक्त बिल संख्या 081 दिनांक 10/03/2013 को चार दिन विलम्ब से दिनांक 14/03/2013 को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यदि उक्त बिल पूर्व में ही जारी किया गया होता एवं वास्तव में उक्त बिल किसी गार्ड के पास दिया गया होता, तो पुलिस द्वारा माल रोके जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 10/03/2013 को ही कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार में उपलब्ध करा दिया जाता। जो निर्णय व्यापारी द्वारा अपने पक्ष में उद्धृत किये गये हैं, वह समस्त वाद के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि M/s Kathori Projects Ltd. 24/19-D mal Kanpur Vs Commissioner Commercial Tax के मामले में दिये गये निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों के आलोक में यह मान लिया गया है कि संव्यवहार के संबंध में व्यापारी द्वारा नियमानुसार बिल जारी किया दिया गया था, परन्तु संबंधित क्लर्क एवं ड्राइवर की त्रुटि के कारण उक्त संव्यवहार से संबंधित प्रपत्रों को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, जबकि प्रश्नगत मामले में वाद के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि व्यापारी द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार के संबंध में कोई बिल जारी ही नहीं किया गया था। जहां तक वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून पीठ द्वारा Commissioner of Commercial Tax, Uttarakhand Vs. Videocon Industries Limited के मामले में दिये गये निर्णय का प्रश्न है, भी प्रश्नगत मामले में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उक्त मामले में डिफेक्टिव माल का परिवहन व्यापारी के चालान से उस विक्रेता व्यापारी को किया जा रहा था, जिससे माल व्यापारी द्वारा क्रय किया गया था अर्थात् प्रश्नगत मामले में निहित संव्यवहार बिक्री से संबंधित न होकर क्रय किये गये माल में से कुछ माल के डिफेक्टिव हो जाने पर उक्त को विक्रेता व्यापारी को वापस किये जाने से संबंधित है। इस प्रकार उक्त दोनों निर्णय प्रश्नगत मामले में प्रासंगिक नहीं पाये गये हैं। इस संदर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा M/s Ramji Rice Mills, Pilibhit v.s Commissioner of Sales Tax, (STI 2000 Allahabad High Court 661: 2001 UPTC 379) के मामले में दिया गया निर्णय दृष्ट्य हैं, जिसमें संव्यवहार के वैध प्रपत्रों से आच्छादित न होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया गया है—

“Since the consignment in question was not accompanied with proper documents and since there was an intention to evade the tax, the seizure of the goods and the imposition of penalty was proper even though the goods were traced to a bona fide dealer and were found recorded in the stock register.”

उक्त निर्णय उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 13-A(4) के संदर्भ में दिया गया है। उक्त धारा में निहित प्रावधान वैट अधिनियम की धारा 43(5) के अनुरूप हैं, तदनुसार उद्धृत यह मामला इस मामले में पूर्णतया लागू होता है। इस प्रकार चूंकि प्रश्नगत संव्यवहार को व्यापारी द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से व्यापार के सामान्य क्रम में

~ 13 ~

रखे गये अभिलेखों में जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया है, अतः प्रश्नगत मामले में धारा 43(5) आकृष्ट होती है, तदनुसार इस धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय है।

13. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रश्नगत मामले में प्रस्तुत द्वितीय अपील में बल है, अतः स्वीकार की जाती है।

—: आदेश ::—

विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 13/2025 (वर्ष 2012-13, धारा 43(5)) स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 43(5) के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30/08/2013 को पुनर्स्थापित किया जाता है। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 31-12-2024 को अपास्त किया जाता है। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0-06/09/2025
(विपिन चन्द्र)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी पीठ।
कैम्प-देहरादून।

ह0/दि0-06/09/2025
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांक:- 6 सितम्बर, 2025



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>